# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या: 28/22 दायर दिनांक: 24.03.2022
जीसीएमएस नं. 2022/69

उनवान

विमलसिंह उर्फ राजूसिंह पुत्र गिरधरसिह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 निर्मलसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर 2 स्नेहसिंह पुत्री गिरधरसिंह पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति जाट नि. मकान नं. ए–66 मिलिक्ट्री ऐरिया के पास भाव नगर क्विन्स रोड पुरानी अजमेर चुगी के पास जयपुर 3 प्रभासिंह पुत्री गिरधरसिंह पत्नि उमेशसिंह जाति जाट नि. मकान नं. ई–910 अपनी प्रेम हाईट्स विचपुरी के पास आगरा उत्तरप्रदेश 4 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा ––वादी

**<u>निर्णय दिनांक 14.11.2025</u>**

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1625 रकबा 0.36 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी 5/12 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या एक 5/12 हिस्से का व प्रतिवादिनी संख्या 2 व 3 प्रत्येक 1/12 हिस्से की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

आराजी खसरा नंबर 11 रकबा 0.79, 28 रकबा 0.01, 29 रकबा 0.35, 30 रकबा 0.66, 35 रकबा 0.29, 36 रकबा 0.26, 46 रकबा 0.57, 49 रकबा 0.63, 07 रकबा 0.06, 08 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 10 कुल रकबा 3.83 हैक्टे. वाके ग्राम आराजी बवेखर तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी 2/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या एक 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड काश्तकार एव काबिज आराजी है।

आराजी खसरा नंबर 13 रकबा 0.80, 15 रकबा 0.82, 16 रकबा 0.01, 17 रकबा 0.01, 02 रकबा 0.43, 03 रकबा 0.52, 04 रकबा 0.76, 50 रकबा 0.63 हैक्टे. कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टे. वाके ग्राम आराजी बवेखर तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी 1/2 हिस्स का एवं प्रतिवादी संख्या एक 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता चन्द्रकुमारी पत्नि गिरधरसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ही विधिक वारिसान है। स्वर्गीय माँ चन्द्रकुमारी का अभी विरासत का इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है।

उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी है, जिसका अभी तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य कानूनी रूप

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

से मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है और वाहमी मनवट के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 लठैत व सरगना आदमी है, जो वादी का उसके निहित हिस्से की आराजी में शांति से काश्त नहीं करने दे रहा है और उक्त आराजी की समुचित लाभ भी नहीं लेने दे रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को बिना कानूनी विभाजन के दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल करने पर आमादा है।

वादी ने दिनांक 20.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से उक्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से साफ इंकारी कर दी और प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को खुलेआम धमकी दी कि मैं तुझे उक्त आराजी से बेदखल व महरूम करके रहूँगा और तुझे उक्त आराजी के किसी भी हिस्से में काश्त नहीं करने दूँगा और उक्त आराजी को बिना विभाजन के दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल कर तुझे उक्त आराजी से बेदखल व महरूम कर दूँगा।

प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गये तो वादी का सख्त हक तलपी व बरबादी होगी और अपनी पैतृक एवं कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से बेदखल व महरूम हो जावेगा व अपने हिस्से की आराजी में शांति से काश्त नहीं कर सकेगा और वादी को अपरमित क्षति होगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वदी वजह वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे एवं आ.ख.नं. 1625 रकबा 0.36 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में मृतक चन्द्रकुमारी पत्नि गिरधर सिंह के निहित 1/3 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उक्त अनुसार कागजात पटवार में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 की रजिस्टर्ड एडी प्राप्त तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 की डाक डिलीवरी की सूचना प्रस्तुत की गई। इसके बाद कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया।

अतः उक्त के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०